राजकीय महाविद्यालय, पाटी (चम्पावत)
उत्तराखण्ड (262561)
ई–मेल: gdcpati2019@gmail.com

उत्तराखण्ड राज्य

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) **दिनांक:** 11//08/2026

पत्रांक: 01/2026-27

महाविद्यालय अनुशासन एवं प्रॉक्टोरियल व्यवस्था

1. उद्देश्य

इस SOP का उद्देश्य महाविद्यालय परिसर में सुरक्षित, अनुशासित, सम्मानजनक एवं अनुकूल शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है।

2. प्रॉक्टोरियल व्यवस्था

महाविद्यालय में प्राचार्य के निर्देशन में **मुख्य प्रॉक्टर एवं प्रॉक्टोरियल बोर्ड** अनुशासन व्यवस्था की निगरानी करेगा।

3. अनुशासन संबंधी शिकायत की प्रक्रिया

घटना/शिकायत → सूचना मुख्य प्रॉक्टर → प्रारंभिक तथ्य-जांच → संबंधित व्यक्ति का पक्ष → प्रॉक्टोरियल बोर्ड की संस्तुति → प्राचार्य को रिपोर्ट → नियमानुसार कार्रवाई

4. घटना की सूचना

किसी भी अनुशासनहीन घटना की सूचना निम्न माध्यमों से दी जा सकती है–

- मुख्य प्रॉक्टर
- प्रॉक्टर/प्रॉक्टोरियल बोर्ड सदस्य
- विभागाध्यक्ष
- प्राचार्य कार्यालय

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
पाटी (चम्पावत)

राजकीय महाविद्यालय प्रशासन मण्डल पाटी (चम्पावत)

गंभीर घटना की स्थिति में तत्काल प्राचार्य को सूचित किया जाएगा।

5. प्रारंभिक जाँच

मुख्य प्रॉक्टर घटना की प्राथमिक जानकारी प्राप्त कर निम्न विवरण दर्ज करेंगे–

- घटना की तारीख एवं समय
- घटना का स्थान
- संबंधित छात्र/कर्मचारी का नाम
- घटना का संक्षिप्त विवरण
- प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी
- उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्य

6. छात्र का पक्ष

किसी छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई से पूर्व, जहाँ आवश्यक हो, उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाएगा।

7. गंभीर मामलों में

मारपीट, रैगिंग, नशीले पदार्थ, यौन उत्पीड़न, गंभीर धमकी अथवा अन्य गंभीर मामलों में प्रकरण को तत्काल **प्राचार्य एवं संबंधित सक्षम समिति/प्राधिकरण** के संज्ञान में लाया जाएगा तथा लागू नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

8. प्रॉक्टोरियल निरीक्षण

प्रॉक्टर/प्रॉक्टोरियल बोर्ड सदस्य समय-समय पर–

- कक्षाओं के आसपास,
- महाविद्यालय परिसर,
- पुस्तकालय,
- प्रयोगशाला,
- खेल परिसर तथा
- अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों

में अनुशासन की स्थिति का निरीक्षण करेंगे।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
पाटी (चम्पावत)

राजकीय महाविद्यालय प्रशासन मण्डल पाटी (चम्पावत)

9. अभिलेख संधारण

मुख्य प्रॉक्टर द्वारा निम्न अभिलेख व्यवस्थित रूप से रखे जाएंगे–

1. Proctorial Register
2. Discipline Complaint Register
3. Incident Report Register
4. Counselling/Warning Record
5. Action Taken Report
6. गंभीर घटनाओं से संबंधित दस्तावेज

10. सभी की जिम्मेदारी

महाविद्यालय का अनुशासन केवल प्रॉक्टोरियल बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है। **प्राचार्य, प्राध्यापक, कर्मचारी एवं छात्र-छात्राएँ सभी महाविद्यालय की गरिमा एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं।**

नोट: यह SOP महाविद्यालय में लागू विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/UGC एवं अन्य सक्षम प्राधिकरणों के नियमों के अधीन रहेगा। विवाद अथवा गंभीर अनुशासनात्मक मामले में संबंधित वैधानिक नियमों को प्राथमिकता दी जाएगी।

प्राचार्य

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय पाटी, चंपावत

पाटी (चम्पावत)

मुख्य प्रॉक्टर

डॉ धर्मवीर सिंह

राजकीय महाविद्यालय पाटी, चंपावत

सदस्य- 1-डॉ0 के0के0 मिश्रा

2-श्रीमती हिना परवीन

3- श्रीमती ऋतु

4-श्री प्रमोद वर्मा